न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा।

बइजलास श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 154/2025/दावा

रामगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र मन्नालाल जाति धाकड निवासी ग्राम निवासी ग्राम हरीपुरा तह० साँगोद जिला कोटा राजस्थान —वादी

बनाम

1. दीनदयाल पुत्र छीतरलाल जाति धाकड,
2. परमानंन्द पुत्र छीतरलाल जाति धाकड
3. भीमराज पुत्र छीतरलाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम हरीपुरा तह० सॉगोद जिला कोटा
4. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साँगोद जिला कोटा राजस्थान। —प्रतिवादीगण—

दावा बाबत घोषणा बँटवारा व इन्द्राज दुरस्ती अन्तर्गत धारा 88, 89 आर०टी० एक्ट

—:: निर्णय ::—

उपस्थिति :—

1. श्री बाबूलाल नागर(वकील वादी)
2. श्री नाथूलाल नागर(वकील प्रतिवादीगण)

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि वादी ने इस न्यायालय में एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अधीन इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी माल ग्राम हरीपुरा तह० साँगोद खाता सं० नई 24 नया पुराना 20 की

खसरा सं०	रकबा
136	0.82 हे0
417 पाटी	3.21 हे0
437 तलाई	0.62 हे0
668 नीम वाला	0.54 हे0

कुल 4 किता की 5.19 हेक्टेयर आराजीयात ।

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

वादी ने वादपत्र में यह भी अंकित किया कि प्रतिवादी सं० 1 लगायत 3 के खाते एवं कब्जे काश्त की कृषि भूमि माल ग्राम हरिपुरा तह० सॉगोद कि खाता सं० नई 129 पुरानी 124 कि :–

खसरा सं०	रकबा
109	0.57 हे0
137	0.01 है0
138	0.81 हे0
667 दक्षिण नीम वाला	0.54 हे०

कुल 4 किता कि 1.93 हेक्टेयर आराजीयात स्थित है ।

वादी ने वादपत्र में यह भी अंकित किया कि वादी एंव प्रतिवादीगंण के पूर्वज एक ही परिवार के सदस्य है जो उपरोक्त वर्णित आराजीयात को पूर्वजो के समय से ही काबिज काश्त करते चले आ रहे है जिनकी कृषि भूमि का वर्णन उपर वर्णित कर दिया गया है। उक्त कृषि भूमि वादी एंव प्रतिवादीगण के अलग–अलग खाते में दर्ज हो रही है जो मौके पर पास–पास ही सभी खेत स्थित है उपरोक्त वर्णित कृषि भूमि का मौखिक रूप से बटवॉरा वर्षो पूर्व कर दिया गया है जिसके मुताबिक वादी एंव प्रतिवादीगण कृषि काश्त करते चले आ रहे है एवं फसल का उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है उक्त बटवॉरा के मुताबिक वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मौखिक रूप से बटवॉरा किया गया था उपरौक्त कृषि भूमियों पास–पास ही स्थित होने से त्रुठिवश सहवन से खसरा सं० 109 कि 0.57 हे0 कृषि भूमि को काफी समय से वादी काबिज काश्त करता चला आ रहा है जो मुताबिक राजस्व रिकार्ड प्रतिवादीगण 1 लगायत 3 के खाते मे अर्थात्त राजस्व रिकार्ड जमाबंदी मे दर्ज है इसी प्रकार माल ग्राम हरीपुरा की खसरा सं० 136 कि 0.82 हे0 मे से 0.47 हे० आराजी कृषि भूमि को काफी वर्षो से वादी काबिज काश्त करता चला आ रहा है एवं यह आराजी कृषि भूमि प्रतिवादी 1 लगायत 3 कि मुताबिक राजस्व रिकार्ड खाते मे दर्ज चली आ रही है इस प्रकार उक्त त्रुटि काफी वर्षो से हो रही है। उक्त त्रुटि की जानकारी वादी को कुछ समय पूर्व हल्का पटवारी के माध्यम से होने पर वादी ने मुताबिक मौके के काबिज काश्त के आधार पर हल्का पटवारी जी के काफी समय पहले हुई त्रुटि को दुरस्त करने को कहा तो हल्का पटवारी महोदय ने जानकारी दी की आपको सक्षम न्यायालय में कार्यवाही कर उक्त त्रुटि को दुरस्त कराया जा सकता है इसके लिए आपको न्यायालय मे कार्यवाही करना आवश्यक है वादी के लिए मौके पर हुई गलती को दुरस्त करवाना आवश्यक होने से यह वाद पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत किया जा रहा है। वादी ने उक्त मौके पर कृषि भूमि के काबिज काश्त की गलती को दुरस्त करवाने के लिए प्रतिवादीगण को कहा तो प्रतिवादीगण 1–3 के द्वारा स्पष्ट रूप से मना कर दिया तथा सहयोग करने से मना कर दिया, जिससे न्यायालय मे वाद पत्र पेश किया जा रहा है। वाद कारण दावा दायरी से 1 सप्ताह पूर्व जब वादी द्वारा प्रतिवादीगण से उक्त त्रुटि को दुरस्त करने की कहने तथा उनके द्वारा मना करने पर उत्पन्न

उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद जिला कोटा

हुआ है। वाद का मूल्याँकन वास्ते घोषणा एंव इन्द्राज दुरस्ती हेतु 2000 ₹ रूपया नियत किया जाकर वाद उचित न्याय शुल्क पर अवधि मध्य न्यायालय में पेश है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि एंव पक्षकारान ग्राम हरीपुरा तह० साँगोद के निवासी होने से श्रीमान को प्रस्तुत वाद पत्र को श्रवणाधिकार एंव श्रेत्राधिकार प्राप्त है। अतः वादी के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त की आराजीयात माल ग्राम हरीपुरा पटवार हल्का दीगोद तह० सॉगोद जिला कोटा के खाता सं० नई 129 के खसरा सं० 109 कि 0.57 हेक्टेयर आराजी कृषि भूमि स्थित है के राजस्व रिकार्ड मे से प्रतिवादी सं० 1—3 के स्थान पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा उक्त घोषणा के अनुकम मे इन्द्राज दुरस्त किया जाकर प्रतिवादी 1—3 का नाम राजस्व रिकार्ड से दुरस्त किया जावे एंव वादी का नाम दर्ज किया जावे इसके साथ ही माल ग्राम हरीपुरा के खसरा सं0 136 कि 0.82 हे0 में से 0.57 हे० आराजी कृषि भूमि प्रतिवादी सं० 1—3 के कबिज काश्त मे चली आ रही है उसमे प्रतिवादीगण 1—3 को संयुक्त रूप से खातेदार कृषक घोषित किया जाकर इन्द्राज दुरस्त कर वादी का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जावे। उक्त घोषणा के अनुकम मे इन्द्राज दुरस्त किया जाकर घोषण की डिकी पारित फरमाया जावे । एवं वादी के स्थान पर राजस्व रिकार्ड मे प्रतिवादीगण 1—3 का नाम राजस्व रिकार्ड मे बॉट बराबर दर्ज किया जावे। उक्तानुसार डिकी परचा जारी किया जावे ।

वादीगण द्वारा वादपत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादी राज्य सरकार की ओर से पेरोकार तहसीलदार सांगोद उपस्थित। बाद तलबी वादीगण व प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा प्रस्तुत कर मुताबिक राजीनामा दावा डिकी करने का निवेदन किया गया। राजीनामा पक्षकारान तस्दीक किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध पक्षकारों के अभिवचनों, रेकार्ड, दस्तावेजात व राजीनामा के अनुसार वादपत्र वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार करना उचित समझती हूं।

अतः वादपत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर माल ग्राम हरिपुरा तहसील सांगोद के खाता संख्या नई 129 के खसरा नंबर 109 की 0.57 हैक्टर आराजी का प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा माल ग्राम हरिपुरा तहसील सांगोद के खसरा नंबर 136 की 0.82 हैक्टर में से 0.57 हैक्टर कृषिभूमि जो कि प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 के कब्जेकाश्त में चली आ रही है, का वादी के स्थान पर प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। तदनुसार अन्तिम डिकी मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनॉक 27/3/26 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद

अन्तिम डिकी मुकदमा इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल्स 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

बइजलास – श्रीमती सपना कुमारी (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 154/2025/दावा

रामगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र मन्नालाल जाति धाकड निवासी ग्राम निवासी ग्राम हरीपुरा तह० साँगोद जिला कोटा राजस्थान —वादी—

बनाम

1. दीनदयाल पुत्र छीतरलाल जाति धाकड,
2. परमानंन्द पुत्र छीतरलाल जाति धाकड
3. भीमराज पुत्र छीतरलाल जाति धाकड निवासीगण ग्राम हरीपुरा तह० सॉगोद जिला कोटा
4. राज्य सरकार जर्ये तहसीलदार साँगोद जिला कोटा राजस्थान। —प्रतिवादीगण—

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

तारीख फैसला दिनांक .... यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू ....बहाजरी वादीगण मिनजानिब मुदई रूबरू पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकी दी जाती है कि ... वादपत्र मुताबिक राजीनामा स्वीकार कर माल ग्राम हरिपुरा तहसील सांगोद के खाता संख्या नई 129 के खसरा नंबर 109 की 0.57 हैक्टर आराजी का प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 के स्थान पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा माल ग्राम हरिपुरा तहसील सांगोद के खसरा नंबर 136 की 0.82 हैक्टर में से 0.57 हैक्टर कृषिभूमि जो कि प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 के कब्जेकाश्त में चली आ रही है, का वादी के स्थान पर प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। निज ———— मुबलिग ———— बाबत ———— खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह ———— फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ———— का अदा करे। सब मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज तारीख 27/3/26 को जारी की गई।

(श्रीमती सपना कुमारी)
उपखण्ड अधिकारी
सांगोद।